सत्यमेव जयते

संख्या– 3760/जी0एस0(शिक्षा)/A16-20/2024

प्रेषक,

रीना जोशी
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय,
अल्मोड़ा।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 26 अगस्त, 2025

महोदय,

कृपया कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के पत्र संख्या 451 दिनांक 06.07.2019, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा द्वारा पत्र संख्या–1147 दिनांक 07 मई, 2024 तथा अस्थाई सम्बद्धता पोर्टल पर प्रस्ताव क्रमांक 240210103800 तथा प्रस्ताव क्रमांक 230523015713 के माध्यम से प्रेषित प्रस्तावों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त सन्दर्भ के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्ड़ल, कुलपति व कुलसचिव, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा–33(1) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है :–

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या प्रति सत्र	शैक्षिक सत्र
पिथौरागढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्रा0 व पो0–बुंगाछीना, तहसील–देवलथल, पिथौरागढ़	बी0एच0एम0	60	2019–20 से 2024–25
	बी0एससी0–एग्रीकल्चर	60	2022–23 से 2024–25

(1) प्राभूति राशि के मानक अपूर्ण है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नगत संस्थान से शैक्षिक सत्र 2025–26 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राभूति राशि के मापदण्ड आवश्यक रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे।

(2) संस्थान को बी0एससी0–एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम में सत्र 2021–22 की अस्थाई सम्बद्धता की वस्तुस्थिति अस्पष्ट है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि बी0एससी0–एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम में सत्र 2021–22 की अस्थाई सम्बद्धता का समाधान होने के उपरान्त ही संस्थान को इस विषय में सत्र 2022–23 एवं 2023–24 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत किये जायें।

(3) नियामक संस्था, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण

File No. RB-EDUC02/224/2024-RAJBHAWAN (Computer No. 1495)
Generated from eOffice by VED PRAKASH MUHAR, RO-VPM, REVIEW OFFICER, Rajbhawan Uttarakhand on 26/08/2025 11:23 am

होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों / उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये। अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायें अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्ताव पर विचार नही किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(4) यदि भविष्य में कोई सूचना या तथ्य गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति / सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

Digitally signed by
REENA JOSHI
Date: 25-08-2025
17:51:36

(रीना जोशी)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या– 3760 (1) / जी0एस0(शिक्षा) / **A16-20** /2024 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य / निदेशक, संबंधित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Shri Laxman Ram Arya
Date: 25-08-2025
17:56:38

(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के उप सचिव।

File No. RB-EDUC02/224/2024-RAJBHAWAN (Computer No. 1495)
Generated from eOffice by VED PRAKASH MUHAR, RO-VPM, REVIEW OFFICER, Rajbhawan Uttarakhand on 26/08/2025 11:23 am